भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1760
दिनांक 01 अगस्त, 2024

एक समान कर प्रणाली

1760. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कराधान की एक समान प्रणाली न होने के कारण राज्यों के सीमावर्ती जिलों में डीजल और पेट्रोल की तस्करी और कालाबाजारी जारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार कराधान की एक समान प्रणाली और सभी राज्यों में एक राष्ट्र एक दर नीति का अनुसरण करते हुए डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) से राज्यों के सीमावर्ती जिलों में पेट्रोलियम उत्पादों की तस्करी और काला बाजारी का कोई सिद्ध मामला नहीं है।

(ख) से (घ) संविधान के अनुच्छेद 279 ए (5) में निर्धारित किया गया है कि माल और सेवा कर परिषद उस तारीख की सिफारिश करेगी जिससे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (आमतौर पर इसे पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर माल और सेवा कर की उगाही की जाएगी। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(2) के अनुसार इन उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश अपेक्षित होगी। अब तक, जीएसटी परिषद, जिसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है, ने इन उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने की कोई सिफारिश नहीं की है।
